विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
यांत्रिकी विभाग
सीमित निविदा आमंत्रण

क्र./यांत्रिकी/2022–23/520 दिनांक 10/03/2023

प्रति,

....
....

कार्य का नामः– **विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु भोजन व्यवस्था करने बाबत्।**

विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु भोजन व्यवस्था करने हेतु सीमित निविदा दर दिनांक 15.03.2023 समय 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक/स्वयं के द्वारा कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, यांत्रिकी विभाग, उज्जैन के पते पर भेजने का कष्ट करें। उक्त प्रस्ताव के साथ निम्नांकित प्र–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे–

1. जीएसटी क्र.
2. पेन क्र.
3. गुमाश्ता लायसेंस
4. धरोहर राशी रु. 10000/– का मूल एफडीआर. कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम

साथ ही लिफाफे के उपर दीक्षांत समारोह हेतु भोजन व्यवस्था करने के लिए निविदा का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य हैं। उक्त कार्य निम्नांकित सामग्री सूची अनुसार किया जाना हैं–

क्र.	कार्य/सामग्री का विवरण	ईकाई
1.	चाय 100 एमएल, बिस्कीट के साथ (2 नग)	प्रति कप
2.	काफी 100 एमएल, बिस्कीट के साथ (2 नग)	प्रति कप
3.	पोहा, जलेबी (2 नग)	प्रति प्लेट
4.	समोसा/कचोरी/आलुबड़ा/खमण (चटनी सहित)	प्रति नग
5.	इडली साम्भर चटनी सहित (02 इडली एवं साम्भर 50एमएल)	प्रति प्लेट
6.	दाल, चावल, रोटी, सुखी सब्जी, गीली सब्जी, दही, भजिया, पापड़, अचार, सलाद, मिनरल वाटर	प्रति थाली
7.	दाल, चावल, रोटी, पुरी/पराठा, पनीर की सब्जी, सुखी सब्जी, रायता, भजिया, मिठाई (2 नग), पापड़, अचार, सलाद,, मिनरल वाटर	प्रति थाली

उपरोक्त कार्य की दर में समस्त करो को सम्मिलित माना जावेगा, तथा FOR विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन होगा । इसके अतिरिक्त निविदा संबंधि जानकारी यांत्रिकी विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में भोजन व्यवस्था हेतु निविदा की शर्तें–

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु भोजन व्यवस्था करने हेतु अनुभवी एवं सक्षम निविदाकार व्यक्तियों/फर्म/संस्थानों से निम्नांकित शर्तो के अधीन सील बंद लिफाफो में निविदा आमंत्रित की जाती हैं–

1. निविदा प्रपत्र विक्रम विश्वविद्यालय की वेब साईट www.Vikramuniv.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं।
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 15.03.2023 तक कुलसचिव, यांत्रिकी विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यालय में स्पीड पोस्ट डाक/व्यक्तीगत रूप से पहुँच जाना चाहिये। डाक व्यवस्था में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय प्रतिश्रुत एवं उत्तरदायी नही होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाएँ मान्य नही होगी।
3. निविदाकार को भोजन सामग्री निर्माण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
4. निविदाकार अपने गुमास्ता लायसेंस की छायाप्रति लिफाफा में अनिवार्यतः रखें।
5. निविदाकार निविदा हेतु अर्नेस्ट मनी रु. 10000/– (दस हजार रु.) का एफडीआर, जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में देय हो, अनिवार्यतः रखें।
6. किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
7. भोजन सामग्री का निर्माण फिल्टर मूंगफली के तेल, सॉची शुद्ध घी एवं ब्रांडेड मसाले तथा सामग्री का उपयोग करना होगा। किसी भी सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर निविदाकार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
8. निविदाकर्ता को भोजन सामग्री निर्माण/प्रदाय हेतु टेबल, कुर्सी, क्राकरी, प्लेट, कटोरी एवं केटरिंग से संबंधित सभी सामग्री एवं बर्तन तथा जल प्रदाय आदि व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगी।
9. निविदाकार द्वारा भोजन निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, हानि, क्षति या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. न्युनतम निविदाकार द्वारा भोजन का समस्त कचरा डिस्पोजेबलस् प्रतिदिन विश्वविद्यालय परीसर के बाहर नगर निगम की कचरा पेटियों में स्वयं के व्यय से फिकवाना होगा।
11. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरे बाजार दर से अधिक नही होनी चाहिये, साथ ही उक्त सामग्री गुणवत्ता युक्त ताजी एवं सही मात्रा में प्रदाय करना होगी।
12. अग्नीरोधी यंत्र की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगी।
13. न्युनतम निविदाकार द्वारा नियोजित कर्मचारीयों को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अधिकारीयों एवं अतिथियों के साथ व्यवहार विनम्र एवं सम्मान जनक रखना होगा। व्यवहार संतोषजनक नही होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
14. खाद्य विभाग/स्वास्थ विभाग द्वारा निर्धारित नियमो का पालन कढाई से करना होगा। उसके उल्लंघन पर केंटीन संचालक दोषी होगा।
15. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की शर्तो का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशी राजसात कर ली जावेगी।
16. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को होगा।
17. किसी वाद–विवाद की स्थिती में कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षो के लिए मान्य होगा।
18. वाद क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय जिला उज्जैन का होगा।

हस्ताक्षर

अधिकृत निविदाकर्ता

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन